न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 33/2015

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बाराँ जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ
(सायल)

बनाम

अखलाख पुत्र गफ्फार जाति मुसलमान निवासी कोसर कॉलोनी थाना कोतवाली बाराँ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)
2– श्री जितेन्द्र नागर अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 05.04.2021

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल अखलाख पुत्र गफ्फार जाति मुसलमान निवासी कोसर कॉलोनी थाना कोतवाली बाराँ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, बाराँ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली जिला बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा खेलने एवं अवैध आर्म्स की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारॉ में वर्ष 2011 से 2015 तक की अवधि में कुल 04 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(03) और आर्म्स एक्ट(01) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से कुल 02 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी दिनों–दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढ़ती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय निरन्तर बढ़ता जा रहा हैं। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने से कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांति एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस व्यक्ति के विरूद्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 16:30:42 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर, इस जिले के सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को कुल 02 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 01.07.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सहमति पत्र के माध्यम से जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु निवेदन किये जाने पर, प्रकरण में गैरसायल का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारॉ में वर्ष 2011 से 2015 तक की अवधि में कुल 04 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(03) और आर्म्स एक्ट(01) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से कुल 02 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। इसके विरूद्व 110 जा0फो0 के तहत इंसदादी कार्यवाही की जा चुकी है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांति एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसों की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती हैं। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावें।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर थाना बदर होकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ ... परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मेरे तारीख पेशी पर आने से उस दिन की मजदूरी भी छूट जाती है। अतः मैं स्वंय की सहमति से उक्त प्रकरण का जिला बदर के स्थान पर थाना बाहर होकर निस्तारण करवाना चाहता हूॅ। मेरे विरूद्व पुलिस थाना, कोतवाली बाराँ द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जिसमें जिला बदर की कार्यवाही के स्थान पर मुझे थाना बदर में पुलिस थाना, मांगरोल जिला बारॉ किया जाकर प्रकरण का आज हीं अंतिम रूप से निस्तारण किया जावें। जिसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 16:30:42 IST
Reason: SelfAttested

मेरे द्वारा अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली बारॉ में वर्ष 2011 से 2015 तक की अवधि में कुल 04 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ(03) और आर्म्स एक्ट(01) के तहत दर्ज हुये है। जिनमें से कुल 02 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि अखलाख पुत्र गफ्फार जाति मुसलमान निवासी कोसर कॉलोनी थाना कोतवाली, बाराँ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल कुल 02 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल अखलाख पुत्र गफ्फार जाति मुसलमान निवासी कोसर कॉलोनी थाना कोतवाली, बाराँ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली बारॉ से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल अखलाख पुत्र गफ्फार जाति मुसलमान निवासी कोसर कॉलोनी थाना कोतवाली, बाराँ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कोतवाली बारॉ क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारॉ को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/- रूपये का स्वंय का मुचलका इस अवधि में नेकचलन रहने के संबंध में पेश करेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 21.04.2021 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल, जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना कोतवाली बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल, जिला बारॉ के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे ... इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर ... हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 15:30:42 IST
Reason: SelfAttested

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ